

परिशिष्ट

## (देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

## भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव  
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त  
विवरण।

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० अगस्त्यमुनि में जिला  
योजना के अन्तर्गत भौसाल-चौण्ड मोटर मार्ग से तिन्सी  
तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण  
प्रस्ताव।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि  
और उसके आस-पास के वनों की  
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

स्वीकृत लागत = ₹ 12.60 लाख मात्र।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने  
का औचित्य।

प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही  
सम्बन्धित मार्गों को जोड़ने हेतु एक मात्र  
विकल्प है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये  
जाने के लिए)

संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की  
संभावना है।

0.001 लाख मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार  
विवरण:

0.0000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।  
0.1925 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।  
0.0000 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि  
0.5075 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का  
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

- शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के  
परिवारों की संख्या

- शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने  
के लिए)

- शून्य

-2-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?  
(हां/नहीं) नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। संलग्न है।

दिनांक.....  
स्थान -रुद्रप्रयाग

  
(ई० इन्द्रजीत बोस)  
अधीशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो० नि०वि०  
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या.....  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

## भाग- II

## (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

## प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

## परियोजना/स्कीम का स्थान

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत भौसाल-चौण्ड मोटर मार्ग से तिन्सी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

- |       |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i)    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                           | उत्तराखण्ड                                                                                               |
| ii)   | जिला                                                                                                                                                                                                              | रुद्रप्रयाग।                                                                                             |
| iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                         | रुद्रप्रयाग                                                                                              |
| iv)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में )                                                                                                                                                  | 0.3850 है०                                                                                               |
| v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                               | 0.0000 है० वन पंचायत भूमि<br>0.1925 सिविल सोयम वन भूमि<br>0.0000 है० आरक्षित भूमि<br>0.5075 है० नाप भूमि |
| vi)   | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                  | <del>0.00</del> 0.20                                                                                     |
| vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए                                            | सूची में संलग्न है।                                                                                      |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।                                                                                                                                                    | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।                                                                             |
| ix)   | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी                                                                                                                                              | 0.400 किमी०                                                                                              |
| x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाए)                     | नहीं                                                                                                     |
| xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।                                                                                      | नहीं                                                                                                     |
| xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं।                                                                                                    |
| 8-    | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।                    | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है।                                                               |
| 9-    | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।                | लागू नहीं                                                                                                |

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- ii. जिला का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- v. 2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी०

1790.995 वर्ग किमी०

580.852 hae. 1450 hae

727.29 hae. ~~प्रतिपूरक~~

X

.....

.....

727.29 hae.

X विकास कार्य

प्रकरण ~~रुद्रप्रयाग वन प्रभाग~~  
से सम्बन्धित है। अतः जनहित में  
सिफारिश की जाती है।

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.....

स्थान-रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर

नाम C Dr. C. K. Kasidatyal  
सरकारी मोहर D.C.F.उप वन संरक्षक  
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग  
रुद्रप्रयाग

**भाग-III**

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

तिथि .....

स्थान-

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

**भाग-IV**

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

**भाग-V**

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:  
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या  
भाग- IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी  
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर  
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

तिथि :

स्थान :

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर